"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."

पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2010-2012."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 33] रायपुर, बुधवार, दिनांक 29 फरवरी 2012—फाल्गुन 10, शक 1933

छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग
सिंचाई कालोनी, शांति नगर, रायपुर

रायपुर, दिनांक 29 फरवरी 2012

अधिसूचना

क्रमांक 41/RPO-REC/2012.—विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 86(1)(6) एवं धारा 181 में प्रदत्त शक्तियों के अनुरूप छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग ने अक्षय ऊर्जा क्रय दायित्व एवं अक्षय ऊर्जा प्रमाणन की रूप रेखा के राज्य में अनुपालन हेतु छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग (रिन्यूवेबल परचेस ऑबलिगेशन एण्ड आर.ई.सी. फ्रेमवर्क इम्पलिमेन्टेशन) विनियम, 2011 बनाये हैं. ये विनियम छत्तीसगढ़ राजपत्र में अधिसूचना के प्रकाशन की तिथि 4 मार्च 2011 से प्रभावशील है.

छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग (रिन्यूवेबल परचेस ऑबलिगेशन एण्ड आर.ई.सी. फ्रेमवर्क इम्पलिमेन्टेशन) विनियम, 2011 के विनियम 8.1 के अनुसार केप्टिव उपयोगकर्ता एवं ओपन ऐक्सेस उपभोक्ताओं के लिए अक्षय ऊर्जा क्रय दायित्व, उस तिथि से प्रभावकारी होगा, जो कि छत्तीसगढ़ राजपत्र में अधिसूचित की जायेगी.

आयोग एतद्द्वारा, अक्षय ऊर्जा क्रय दायित्व, (जो कि छ.ग.रा.वि.नि.आ. रिन्यूवेबल परचेस ऑबलिगेशन एण्ड आर.ई.सी. फ्रेमवर्क इम्पलिमेन्टेशन विनियम, 2011 के विनियम 4.3 में दर्शाया गया है) हेतु केप्टिव उपयोगकर्ताओं एवं ओपन ऐक्सेस उपभोक्ताओं के लिए दिनांक 1 अप्रैल 2012 को "नियत तिथि" के रूप में विनिर्दिष्ट करता है. अक्षय ऊर्जा क्रय दायित्व के निर्वहन हेतु केप्टिव उपयोगकर्ता/ओपन ऐक्सेस उपभोक्ता के द्वारा 4 मार्च 2011 से 31 मार्च 2012 के दौरान अक्षय ऊर्जा को/अक्षय ऊर्जा प्रमाण-पत्र को, यदि क्रय किया गया है, तो ऐसा क्रय वित्तीय वर्ष 2012-13 के लिए क्रय माना जायेगा एवं इसे वर्ष 2012-13 में अक्षय ऊर्जा क्रय दायित्व में समायोजित किया जायेगा.

Raipur, the 29th February 2012

NOTIFICATION

No. 41/RPO-REC/2012.—Chhattisgarh State Electricity Regulatory Commission (the Commission), in exercise of the power vested to the Commission under section 86(1)(e) of the Electricity Act 2003 (the Act) read with section 181 of the Act, made Chhattisgarh State Electricity Regulatory Commission (Renewable Purchase Obligation and REC framework Implementation) Regulations, 2011 (CSERC RPO-REC Regulations 2011) regarding renewable purchase obligation and implementation of REC framework in the State. These Regulations came into force from the date of notification in the Chhattisgarh Gazette (Rajpatra) i.e. March 04, 2011.

Regulation 8.1 of the CSERC RPO-REC Regulations 2011 specifies that renewable purchase obligation for the Captive User(s) and Open Access Consumer(s) shall be applicable to these obligated entities from the date as would be notified in the Official Gazette.

The Commission hereby specifies the date of applicability of renewable purchase obligation (as mentioned in regulation 4.3 of the CSERC RPO-REC Regulations 2011) as April 01, 2012 for the Captive User(s) and Open Access Consumer(s). Renewable energy or Renewable Energy Certificates procured, if any, by the Captive User(s)/Open Access Consumer(s) during the period March 04, 2011 to March 31, 2012 for meeting the renewable purchase obligation shall be considered as deemed to have been procured for FY 2012-13 and shall be adjusted against their renewable purchase obligation for year 2012-13.

आयोग के आदेशानुसार,
एन. के. रूपवानी, सचिव.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2012.